प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/ shailshamachar

वर्ष 43 अंक–18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 23 –07 मई 2018 मूल्य पांच रूपए

शान्ता से जयराम तक हर सरकार ने दिया है अवैधताओं को संरक्षण

शिमला/शैल। अवैधताओं को सरक्षंण देने के बाद उसके खिलाफ कारवाई करना कितना कठिन हो सकता है यह कसौली गोली कांड से सामने आ चुका है। जिस महिला अधिकारी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है उसका कसूर केवल इतना था कि वह उस टीम की एक मुख्य सदस्य थी जो नारायणी गैस्ट हाउस के अवैध निर्माण को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गिराने गयी थी। यह अवैध निर्माण पिछले पन्द्रह वर्षो से अधिक समय से वहां खड़ा था। यह निर्माण अवैध था क्योंकि सरकार के नियमों/कानूनों के अनुरूप नही था। लेकिन इसको गिराये जाने की नौबत तब आयी जब सर्वोच्च न्यायालय का इसमें अन्तिम फैसला आ गया। जिस महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा को होटल मालिक के बेटे ने शरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया उस अधिकारी के वक्त में तो यह अवैध निर्माण नही बना था। जब यह अवैध निर्माण बन रहा था उस समय जो संवद्ध अधिकारी शीर्ष से लेकर नीचे तक रहे होंगे वह ही इसके लिये जिम्मेदार रहे होंगे। उनके साथ ही वह अधिकारी भी इस अवैधता में हिस्सेदार रहे होंगे जिन्होंने इस गैस्ट हाऊस को ऑप्रेट करने की अनुमति दी होगी। वह लोग निश्चित रूप से पर्यटन और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अधिकारी रहे होंगे। क्योंकि कसौली में अकेले इसी गैस्ट हाऊस को लेकर अदालत का फैसला नही आया है बल्कि इसके साथ ही बारह और भी ऐसे ही निर्माण हैं जिन्हें गिराये जाने के आदेश हुए हैं अवैध निर्माण का यह मामला अदालत में तब पहुंचा था जब संबंधित विभागों ने अपने तौर पर इस पर कोई कारवाई नही की थी। तब एक कसौली बचाओ संस्था ने इस सबको एनजीटी में चुनौती दी।

अवैधताओं पर यह निर्माता किस कदर बेखौफे थे और प्रशासन ने किस हद तक अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया हैं इसका अन्दाज अदालत की इन टिप्पणीयों से हो जाता है

Hotel Pine View

In relation to Hotel Pine View and Hotel Pine View–II, even today, after adjournment having been sought earlier, no document has been produced before us to show that these hotels had ever operated with the consent of the Board and their plans were approved in accordance with law.

It is clarified by the Learned Counsel appearing for the State, upon instructions from Ms. Leela Shyam, Town and Country Planner Department that there are two structures. One is three storied building which is connected with other four storied building, thus making a total of 7 storied. The order issued on 01st March, 2017 which described seven storied unauthorized construction, in fact, means that. The Department of Town and Country Planning had come to know of the seven storied structure prior to August, 2010 and had issued a Notice on 31st August, 2010.

Thereafter, Notice was issued against unauthorized construction for third, fourth and fifth storied. The Noticees have constructed over two stories and a Notice was issued on 4th March, 2016. The Notice for disconnection of electricity was also issued subsequent to the Notice dated 4th March, 2016. The Noticees are present and they informed the Tribunal that no action was taken since August, 2010 till 2016 and only request for disconnection of facility was made. Notice was given on 3rd December, 2008 and Department of Tourism was requested to deregister. In the said Notice, it was recorded that it has come to the notice of the undersigned, which was issued by Mr. Sandeep Sharma, Town and Country Planner, that Mr. Devender Bhandari has started raising construction of four storied, without prior approval.

Order

The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.

Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.

Mr. Praveen Gupta and Mr.Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry.In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.

There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing.

Narayani Guest House

The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor.

स्मरणीय है कि प्रदेश में 1977 में टीसीपी एक्ट बना था और पूरा प्रदेश इसके तहत लाया गया था। इसके लिये सरकार को एक माकूल डवैल्पमैन्ट प्लान अधिसूचित और लागू करना था लेकिन आज 2018 तक यह एक स्थायी प्लान नही बन पाया है। 1977 और 1990 में दो बार शान्ता कुमार भी मुख्यमन्त्री रह चुके हैं। बल्कि इसी दौरान उनका अपना होटल यामिनी बना था जिसकी दो मंजिलें एलआईसी की नियमित किराये पर देने का विवाद खड़ा हुआ था। क्योंकि इस निर्माण के लिये वित्त निगम से ऋण लिया गया था और नियम इसको इस तरह नियमित किराये पर देने की अनुमति नही देते थे। बल्कि इस विवाद के बाद ही होटल यामिनी की सरकारी ज़मीन का प्राईवेट ज़मीन के साथ सरकार से विशेष अनुमति लेकर तबदला किया गया था। शान्ता को भी यह सब इसलिये भोगना पड़ा था क्योंकि सरकार कोई स्थायी प्लान नही बना पायी थी। बल्कि आज न्यू शिमला को लेकर भी प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका लंबित चल रही है। क्योंकि वहां भी इस प्लान के अभाव में कई अवैधताएं घट चुकी हैं।

आज शान्ता कुमार ने भी कसौली गोली कांड में हुई महिला अधिकारी की मौत के लिये उन सारी सरकारों को दोषी माना है जिनके कार्यकाल में यह अवैध निर्माण हुए और इन्हे संरक्षण देने के लिये एक्ट में ही संशोधनों को अन्जाम दे दिया। शान्ता ने अवैध निर्माणों और अवैध कब्जों पर दोषीयों को छः माह तक की सज़ा देने का भी प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया है।शान्ता ने उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी सजा देने की बात की है। जिनके कार्यकाल में यह अवैधताएं घटी हैं।

लेकिन सरकार इन अवैधताओं के दोषीयों को दण्डित करने की ब्जाय अस्थायी प्लान में ही एक दर्जन से अधिक संशोधन कर चुकी है और नौ बार रिटैन्शन पॉलिसीयां ला चुकी हैं। यही नही टीसीपी एक्ट में ही संशोधन करके ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। शान्ता से लेकर जयराम तक की हर सरकार संरक्षण दे रही है। जयराम सरकार की भी चार माह की यह बड़ी उपलब्धि है कि जब प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों के बिजली, पानी काटने के आदेश दिये तो यह सरकार भी टीसीपी एक्ट में संशोधन लेकर आ गयी है। जबकि ऐसे संशोधनों पर अदालत साफ कह चुकी है कि Duty of the State is to govern. Governance includes implementation of the statutes in existence. Failure of the government, in having the provisions of a statute implemented, amounts to failure in governance. This failure in governance by a Government cannot be permitted to be condoned by incorporation of such like amendments, resulting into condoning mis-governance.

शेष पृष्ठ 8 पर........

राज्यपाल पर टिकी निगाहें

स्वस्थ जीवन जीने के लिए बदलें दिनचर्या: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपालआचार्य देवव्रत ने लोगों से लाईफ स्टाईल और खान-पान की आदतों में बदलाव लाकर स्वस्थ जीवन जीने पर बल दिया है।

राज्यपाल राजभवन परिसर में आम जनमानस के लिए आयोजित तीन दिवसीय चिकित्सा शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। यह चिकित्सा शिविर हैल्पेज इण्डिया तथा श्रीराम अस्पताल के चिकित्सकों के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैल्पेज इण्डिया तथा श्रीराम अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा उपचार व निःशुल्क दवाओं को उपलब्ध करवाकर सराहनीय कार्य कर जनमानस के कल्याण की दिशा में बहुत बड़ा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सकों से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी आग्रह किया।

उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि वर्तमान समय में बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, जिसका प्रमुख कारण खानपान का दोष और रहन-सहन की दिनचर्या है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए हम योग, प्राणायाम व सैर करें ताकि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकें। उन्होंने कहा कि जो लोग इस परम्परा को जीवन में अपनाये हुए हैं वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में धन का बहुत बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो यह धन दूसरे विकास कार्यो पर खर्च किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीवन का सारा आनंद स्वस्थ शरीर के साथ है।

राशन कार्ड को आधार से जोड़ें उपभोक्ता

शिमला/शैल। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश मदन चौहान ने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निर्धारित वस्तुओं के वितरण में खामियों दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस मशीनें लगाई गई हैं तथा इन्हें ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन से जोड़ा गया है। ऑनलाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को पॉस मशीनों के माध्यम से राशन प्राप्त हो सकेगा,जिन्होंने अपने राशन कार्ड डीजिटाईज करवा दिए है। शेष उपभोक्ता जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश राशन कार्ड डिजिटाईज नहीं करवाए है उन्हें पुराने राशन कार्डो पर फिलहाल राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। किन्तु आने वाले समय में इन राशन कार्डो पर राशन उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं होगा। क्योंकि सारा राशन पॉस मशीनों के माध्यम से ही वितरित किया जाना है। पुराने राशन कार्डो के प्रचलन से राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं के दूरूपयोग की सम्भवाना बनी रहती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 90 प्रतिशत लोगों के आधार को उनके राशन कार्ड से जोड़ दिया गया है। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड के साथ आधार जोड़ने की अन्तिम तिथि 30 जून, 2018 निर्धारित की गई है।

छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक सरकारी सेवा से बर्खास्त

शिमला/शैल। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने शिमला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला मे-फील्ड में छठी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले पर कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी पीईटी शिक्षक बलदेव राज हरनोट को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

यह शिक्षक कुछ समय से विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार तथा छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। कई बार चेतावनी के बावजूद शिक्षक अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर पाया। शिक्षक का व्यवहार स्पष्ट तौर पर सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 की अवहेलना है तथा सरकारी सेवा में कर्मचारी के व्यवहार के अनुरूप भी उचित नहीं है।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को 23 अप्रैल, 2018 को राजकीय माध्यमिक पाठशाला मे-फील्ड में शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में राजकीय उच्च पाठशाला कैथु की मुख्याध्यापिका की शिकायत तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। राजकीय माध्यमिक पाठशाला मेफील्ड के स्टाफ सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने लिखित ब्यान में कहा है कि आरोपी शिक्षक कुछ समय से छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार की गतिविधियों में लिप्त पाया गया है।

रिपोर्ट दर्शाती है कि यह शिक्षक सितम्बर, 2017 के दौरान विद्यालय की छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न में लिप्त पाया गया है।

पुलिस ने घटना के दिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 9 एफ के तहत एफआईआर दर्ज की है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

H.P.P.W.D.TENDER
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on PWD form Number 6 & 8 are hereby invited by the Executive Engineer, Jawali Division H.P.P.W.D. Jawali on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors C& D enlisted in H.P.P.W.D, so as to reach in this office in the waxed sealed cover on or before **02.06.2018 up to 11:00 (AM)** and will be opened on the same day at **11:30 (A.M.)** in the presence of the intending contractors or their authorized representative who may like to be present. The application for purchase of tender will be received up to **4.00 P.M on dated 31.05.2018.** The tender form can be obtained from this office **11.00 A.M to 4.30 P.M** on dated **01.06.2018.**

The amount of earnest money in the shape of NSC's / FDR/ Time Deposit accounts /Deposit at call of any of post Office/Bank in HP duly pledged in the name of the Executive Engineer, Jawali Division H.P.P.W.D. Jawali should be deposited first with the application then the tender documents will be issued. Conditional tender and tender application without earnest money will be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.** The Executive Engineer reserves the right to reject any or all the tender without assigning any reason.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost Rs	Earnest Money Rs	Time Limit	Cost of Form Rs
A/R & M/O various roads under HP PWD Sub Division NagrotaSurian(SH:- Repair of Pot holes by providing patch work).	2,50,083/-	5000/-	Two months	350/-

Conditions:-
1. The contractor should have not more than two works in hand.
2. The contractor should be registered as a dealer under HPST Act 1968 (GST number) from the Excise and Taxation Department.
3. The Cess charges@ 1%(One percent) will be deducted from gross amount of work done by the contractor.
4. The contractors are required to be produce copy of their PAN No. at time of application.
5. The contractor should produce a copy of enlistment/ renewal letter at time of application.
6. The Executive Engineer reserves the right to accept/cancel any tender without assigning any reason at any stage.
7. Telegraphically/ Fax tenders are not acceptable.
8. Special care should be taken to write the rates both in figures and in words, failing which tender likely to be rejected to be circumstances
9. If the office happens to be closed on the date of opening of the tenders as specified, the tenders will be opened on the next working day at the same time and venue.

Adv. No.-0340/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMEN
'NOTICE INVITING TENDERS

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. I, HP-PWD, Bilaspur, for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP-PWD, whose registration stood renewed as per the revised instructions and also registered dealers under the Himachal Pradesh, General Sales Tax Act. 1968. The important dates of the tenders are as under:-

Date of application 23/05/2018
Date of sale of tender form 26/05/2018
Date of opening of tender. 28/05/2018

The tenders shall be received up to **10.30 A.M. on 28/05/2018** and will be opened on the same day at **11.00 A.M**. in the presence of intending contractors or their authorised representatives, who may like to be present. The tender forms can be had from this office against cash payment as shown below (Non-refundable) during the working hours on **26/05/2018.**

The Earnest money in the shape of National Saving Certificate/Deposit at call/ Time Deposit Account in any of the Post-Office /Nationalised Bank in H.P. duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. I, HP-PWD, Bilaspur must accompany with the each application. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for **120 days.** The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost In Rs.	Earnest Money In Rs.	Cost of Tender Form In Rs.	Time
1	2	3	4	5	6
	1. Metalling of road from Factory gate to Dispatch/Store section at Bilaspur. (SH:- Providing and laying wearing and tarring work in Km. 0/0to 0/400).	3,71,139/-	7,500/-	350/-	One month
	2. Construction of Toilet Block in Govt. Senior Secondary School Chandpur Distt. Bilaspur(H.P.). (SH:- Construction of Toilet Block including W.S. & S.I. and septic tank).	6,15,549/-	12,500/-	350/-	Three months

Terms & Conditions:-
1. The contractors should have executed **two similar** type of works 1/3 of each amount put to tender or single work of amount equal to the amount put to tender within last 3 years.
2. The list of similar type of work executed & **work done performance certificate** issued by the concerned Executive Engineer should be accompanied with application.
3. The **Earnest money** should be accompanied with application. Application without earnest money will be rejected.
4. The photo copy of **PAN, EPF & GSTIN** Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
5. The cost of tender form in prescribed form (Non-refundable) in form of cash in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No.I, HP-PWD, Bilaspur.
6. Copy of **contractor registration** should be attached with the application.

Adv. No.-0334/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, OUTER SERAJ DIVISION, HP.PWD. NIRMAND
WEB: WWW.HPPWD.GOV.IN, EMAIL: EE-NIR-HP@NIC.IN
PHONE NO.-01904-255140
FAX NO.-01904-255740

NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on form 6 & 8 are hereby invited by the Executive Engineer Outer Seraj Division HP. PWD. Nirmand on behalf of Governor of HP. from the approved eligible contractors enlisted in HP.PWD, for the following works, so as to reach this office on **31.05.2018 up to 10.30 A.M.** and same will be opened on the same day at **11.00 a.m**. in presence of the interested contractors or their authorized representative. The tender form can be had from the office of Executive Engineer Outer Seraj Division HP.PWD, Nirmand on cash payment (Non- refundable) on or before **29.05.2018** during office hours till **4.00 p.m.** The application must be accompanied with earnest money in shape of NSD/FDR/Time deposit etc. of any post office of HP. or Nationalized Bank duly pledged in the name of Executive Engineer Outer Seraj Division HP.PWD. Nirmand cash order will not be entertained, it may be ensure that the earnest money shall have to be prepared work wise other wise forms will not be issued . The offer of tender shall be kept open for 90 days. The conditional tender or tender received by post will also be rejected .The undersigned reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. All the approved eligible contractors should bring copy of their valid enlistment /renewal/exemption from earnest money with them. The tender documents will be issued only to those who fulfill the eligibility conditions. **The contractor should be registered as dealer under HP. Sale Tax Act,1968 and now should be registered under VAT Act, Valid Copy of Registration as required , Copy of GST , Copy of PAN Card,** failing which no tender form will be issued to him.

Work No.:-1 Restoration of rain damages on road from Wazir Bowali to Mohali Km. 0/00 to 26/00. (SH:- Construction of P.C.C. Protection wall at RD 18/660 to 18/672.50). Estimated cost:- Rs. 5,92,248/- Earnest money Rs.:- 12,000/- time:- Two Months Cost of form:-350/-

Work No.:-2 Restoration of rain damages on road from Wazir Bowali to Mohali Km. 0/00 to 26/00. (SH:- Construction of P.C.C. Protection wall at RD 18/675 to 18/687.50). Estimated cost:- Rs.5,91,147/- Earnest money Rs.:- 12,000/- time:- Two Months Cost of form:-350/-

Work No.:-3 Restoration of rain damages on road from Wazir Bowali to Mohali Km. 0/00 to 26/00. (SH:- Balance work of R.C.C. Slab Culvert of 3.00mtrs spain at RD 3/570). Estimated cost:- Rs.2,17,352/- Earnest money Rs.:- 5,000/- time:- Two Months Cost of form:-350/-

Work No.:-4 Construction of link road from Bagipul to Village Bagi Km. 0/00 to 1/00. (SH: Construction of R.C.C. Hume Pipe Culverts at RD 0/835 and 1/00). Estimated cost:- Rs. 1,92,464/- Earnest money Rs.:- 4,000/- time:- Two Months Cost of form:-350/-

Work No.:-5 Construction of Jhulla over River Satluj near Bhera Khad to Village Jhungla. (SH: Construction of vertical Tower Anchorage block & C/o R/wall in front of vertical tower). Estimated cost:- Rs. 1,62,518/- Earnest money Rs.:- 3,300/- time:- Three Months Cost of form:-350/-

Adv. No.-0420/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
HP. PWD.TENDER NAHAN.

Sealed item rate tender on form No.6 and 8 are hereby invited on behalf of Governor of Himachal Pradesh for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP.PWD., So as to reach in this office on or before **1.6.2018 up to 11.00 A.M.** and tender will be opened on the same day at **12.00 Noon** in the prese-nce of intending contractors or their authorized representatives who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment (non refundable) up to 05.00 pm on or before **31.5.2018.**

The earnest money in the shape of F.D.R./time deposited in HP duly pledged in favour of Executive Engineer, Nahan Division, HP. PWD., Nahan must accompany with each tender. Conditional tender and the tender received without earnest money will summarily be rejected. The undersigned reserve the right to reject any or all tender without assigning any reasons. The offer of the tender will be kept opened for **120 days.**

Work No.1:- A/R & M/O to L/R to Village Upper Ambwala S.C. Basti.(SH:- P/L 2 cm. thick premix carpet surfacing in Km.0/0 to 0/700. **Estimated cost:-** Rs.3,99,000/-**Earnest Money:-** 8,000/- **Time limit:-** One month, **Cost of tender form:**-350/-

Terms & Conditions:-
1. The Contractors/Bidders must quoted their Permanent Income Tax Account Number/EPF No./Sales Tax Number(TIN Number) on the tender along with the copy of the same be attached with the application.
2. The Contractors/Firms should attach copy of the Registration/Renewal with the application.
3. The Contractors/Bidders should quote his rates Both in Figures and words. Where there is any discrepancy between the rates in figures and words, the rates in words will be governed.
4. Contractors/Bidders must inspect the site to ascertain/familiar the site conditions, accessibility etc. before quoting the bid/tender.
5. Conditional and telegraphic tender shall not be accepted and rejected straightway. Tender received after due date and time will be rejected.
6. The contractor/firms should have to produce the details of works in hand in HP. PWD., and its position thereof along with applications.
7. The tender documents shall be issued to only those contractors:-
a. Who possess the requisite machinery and he is required to produced proof in its support along with the application forms.b. Who does not have more then two works in hand in any PWD Circle/ Division worth Rs.1.00croreeach.
8. The contractor shall have to establish testing laboratory at site for the day to day testing of the material.
9. The offer shall remain valid up to 120 days.
10. Executive Engineer reserve the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

Adv. No.-0297/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

कसौली गोली कांड में क्या सुरक्षा व्यवस्था समुचित थी?

स्टे्टस रिपोर्ट से उठा सवाल

शिमला/शैल। कसौली में एक महिला अधिकारी शैल बाला शर्मा की एक नारायणी गैस्ट हाऊस के मालिक विजय सिंह ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब यह अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में यहां हुए अवैध निर्माण को गिराने जा रही थी। महिला अधिकारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हमलावर एक और आदमी को जख्मी करने के बाद मौके से भागने में कामयाब हो गया। सरकार ने इस घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए कसौली धर्मपुर के थानाध्यक्षों, डीएसपी परवाणु और एसपी सोलन को यहां से बदल भी दिया है।

इस घटना के बाद यह सवाल उठे हैं कि क्या महिला अधिकारी को बचाया नही जा सकता था? क्या पुलिस और प्रशासन ने अदालत के फैसले पर अमल सुनिश्चित करने गयी टीम को उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्धा करवाई थी? यह सवाल इसलिये उठे हैं क्योंकि जब इस घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गयी और एक स्टे्टस रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी है उसमें यह कहा गया है कि यह महिला अधिकारी टीम लीडर को सूचित किये बिना ही दो अन्य लोगों के साथ गैस्ट हाऊस के अन्दर चली गयी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है वह टीम न. एक की सहायक समन्वयक थी। ऐसे में क्या उसे किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता थी? रिपोर्ट से यह झलकता है कि इसमें पुलिस की ओर से चूक नही हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 17.4.18 को आ गया था और 28.4.2018 को ही जिलाधीश सोलन के पत्र के अनुसार इस संद्धर्भ में चार टीमें गठित कर दी गयी थी। इसके मुताबिक चार अलग स्थानों के लिये पुलिस और होम गार्डस के कुल 37 लोग तैनात किये गये थे। यह मामला एनजीटी के फैसले की अपील में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। करीब एक दशक तक यह मामला अदालतों में रहा है और बेहद संवदेनशील बन चुका था क्योंकि इन अवैध निर्माणों के मालिकों का इसमें करोड़ो रूपया निवेशित था। इस परिदृश्य में ही सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया जाना चाहिये था और उसके अनुसार ही सुरक्षा उपलब्ध करवायी जानी चाहिये थी जो नही हो पायी।

कसौली हत्याकांड की जांच उच्च न्यायालय के पीठासीन जज से करवाई जाये:मुकेश

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार कसौली हत्याकांड के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन जज से न्यायिक जांच करवायें। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने एक ब्यान में कहा कि घटना घटित होने में राज्य पुलिस की नाकामी साफ नजर आ रही है। उन्होंने यह दलील दी है कि सरकार के कामकाज के तरीके पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। अल्पावधि में ही देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दो-तीन बार सरकार को फटकार लगाई है और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला अधिकारी की हत्या अदालत की वजह से नहीं बल्कि कानून का पालन करवाने की असफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि एक तो प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर अमल करवाने के लिए अधिकारी को सुरक्षा मुहैया करवाने में नाकाम रही है और देश की शीर्ष अदालत को यह दलील देना कि प्रशासनिक व पुलिस अमला दूसरे परिसर में काम कर रहा था, हास्यास्पद है और यह मामले में लीपापोती करने से कम नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने विधान सभा परिसर में मौजूद कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की और बाद में कांग्रेस दल के साथ राजभवन भी गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थिति को काबू रखने में नाकाम रही है और इस स्थिति में उन्होंने महामहिम राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। सरकार अपराधियों को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। लगातार हत्या, बलात्कार की घटनाओं से देवभूमि दहल रही है और सरकार कुंभकर्ण नींद सोई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कसौली की घटना को एक इकलौती घटना बता कर खारिज न करे। यह एक बड़ा संगीन मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं कभी घटित नहीं हुई हैं। जबकि पुलिस की मौजूदगी में कसौली से अपराधी फरार हो गया। उन्होंने कहा कि इस शूटआउट में घायल कर्मचारी का ब्यान है कि यह वारदात सुनियोजित तरीके से हुई और इस में प्रभावशाली व्यक्तियों का हाथ है। यह बहुत ही संगीन बात है। इस मामले से जुड़े उन तमाम लोगों को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए जिन्होंने इस मामले के लिए बिसात बिछाई।

STATUS REPORT IN RESPECT OF FIR NO. 51/18 DATED 01.05.2018 U/S 302, 307,353 IPC & SECTION 25 OF ARMS ACT-1959 POLICE STATION DHARAMPUR, DISTT. SOLAN H.P.

In pursuance of District Magistrate, District Solan, Office Letter No. acctt. (LFA)-VII-50/2016-Part-II-708 dated 28-04-2018, four teams were constituted by District Magistrate Solan vide letter under reference to maintain law and order during the implementation of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India on dated 17-04-2018 in Civil Appeal No. 8343/2017 titled as M/S Narayani Guest House Vs. Society for preservation of Kasauli and its Environs (SPOKE), vide which the directions have been issued to the respondents to carry out the demolition of unauthorized constructions of Hotels. In this regard, Sub-Divisional Magistrate Solan was deployed as overall in-charge of Law & Order situation and overall co-ordinator for the demolition process and similarly SDPO Parwanoo was deployed as Nodal Officer on behalf of Police Department to ensure presence of sufficient police personnel male and female in each team. Adequate force was provided for the purpose as per the following table:-

DEPLOYMENT OF POLICE FORCE WITH TEAMS CONSTITUTED FOR DEMOLITION OF ILLEGAL CONSTRUCTION

TEAM NO.	DUTY	RANK WISE DEPLOYMENT						
		INSP.	SI	ASI	HC	CONSTABLE	HOME GUARDS	TOTAL
1	KASAULI ROAD HOTEL SHIVALIK, NARAYANI GUEST HOUSE	01	01	0	01	08	03	14
2	SUNRISE KASAULI CHOWK HOTEL PINEVIEW, WISHPRING	0	0	01	01	04	02	08
3	DEEPK SHIKHA, HOTEL, AAA SANWARA	0	01	0	02	05	0	08
4	NILGIRI HOTEL PS KSAULI JURISDICTION	0	01	0	01	04	01	07

As per the report of SDPO Parwanoo, the owner of Shivalik Hotel, which is situated near Narayani guest house created nuisance and threatened with dire consequences if his hotel is demolished. Upon this, Sh Ramesh Sharma, SDPO Parwanoo rushed to Shivalik Hotel to take stock of the situation. Detention of the owner was ordered but his relatives present on the spot gave assurance to calm him down. In the meanwhile the owner had calmed down and demolition process was started in that location peacefully.

After that during the interaction of this team with the owner of M/S Narayani Guest House, the owner contested the demolition process with arguments that only one floor of his guest house was illegal and he had contested the above orders in the Hon'ble Supreme Court of India. He also requested the team not to demolish the additional floor of his guest house but to allow him to do the same himself within a period of two days. He threatened the team that he would commit suicide, if his appeal is not admitted and the demolition process is executed like this. On this, Sh Ramesh Sharma, SDPO Parwanoo gave directions to SHO P.S Dharampur to round him up to avoid any untoward incident. He apparently calmed down and allowed the demolition process to be carried out peacefully and also deployed his own workers for smooth demolition.

The demolition process was being carried out peacefully but in the mean time after the lunch break, Smt. Shail Bala, Assistant Town Planner Kasauli who was Co-ordinator of team No.1 headed by Sh Jagpal Singh, Naib Tehsildar Kasauli, entered the premises of M/S Narayani Guest House alongwith Sh Shavinder Pal Singh Range Officer Forest Department and laborer, without intimating the head of the team constituted for the purpose. After some time firing took place in the gues house and on this the members of team from the adjoining Hotel Shivalik rushed towards firing incident and found that Smt. Shail Bala, Assistant Town Planner Kasauli, was lying on the floor in a blood-shed condition and another laborer had also sustained bullet injuries. On this, SDPO Parwanoo gave directions to the team members to shift the injured person immediately to Civil Hospital Dharampur for first aid and remaining team members to follow and apprehend the owner of M/S Narayani Guest House who fired at the above mentioned persons with his weapon and absconded from the spot taking advantage of the situation and terrain.

On receipt of the information of above firing incident, additional force was arranged and deputed immediately to apprehend the Owner/accused of M/S Narayani Guest House by cordon, search, combing and nakabandi in the surrounding area of incidence and also in the neighbouring Districts. In this context, a case FIR No. 51/18 dated 01-05-2018 U/S 302, 307, 353, IPC and 25- 54-59 Arms Act has been registered against above accused at P.S Dharampur. All the neighbouring states have been alerted and look out notice has been issued. The investigation of this case is under progress.

Upon receipt of information, I along with Additional Director General of Police, Law & Order rushed to the spot to supervise the search operations and to issue supervisory directions in the matter. Directions were issued to intensify search operations to nab the accused and also to take increased precautions while continuing the process of demolition of illegal constructions. Eight reserves of State Armed Police have been deployed to carry out both the operations. Demolition process is continuing peacefully. In order to avoid such incidents directions have been issued to all concerned, copy of which as well as copy of FIR is enclosed herewith.

***

शासक को स्वयं योगय बनकर योगय प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। ....चाणक्य

सम्पादकीय

काली खो पुल के पत्र पर खामोशी क्यों

क्या लोकतन्त्र सही मे खतरे मे पड़ चुका है? क्या अब इन्साफ की प्रतीक''आंखो पर पट्टी बंधी देवी'' का अर्थ बदल चुका है? क्या अब न्यायधीशों को ''माईलॉर्ड'' का सम्बोन्धन अर्थहीन हो चुका है? क्या अब इन्साफ राजनीति की दहलीज़ से होकर मिलेगा? आज यह सारे सवाल एकदम उठ खडे हुए हैं और जवाब मांग रहे हैं लेकिन जवाब कहीं से भी नही आ रहा है। क्योंकि आज देश के सर्वोच्च न्यायालय का भविष्य क्या हो इस पर चिन्ता और चिन्तन करने के लिये इसी सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ जजों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर ''फुल कोर्ट'' बुलाने का आग्रह किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के ही चार वरिष्ठतम जजों ने पूरी प्रैस के माध्यम से अपनी चिन्ता देश के साथ सांझी की थी। यह कोई पत्रकार सम्मेलन नही था क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कोई प्रश्न नही पूछे गये थे और जजों ने भी जो पत्र उन्होने प्रधान न्यायाधीश को लिखा वही प्रैस के सामने रखा था। इसके बाद जब जज लोया की हत्या की जांच किये जाने की मांग को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को एक तरह से लताड़ लगाई तब प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 71 सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ राज्यसभा में दायर कर दिया गया। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब इस खारिज किये जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात प्रस्तावकों ने की है। इसलिये महाभियोग में लगाये गये आरोपों पर अभी चर्चा करना बहुत संगत नही होगा। लेकिन महाभियोग के इस प्रस्ताव को जज लोया की मौत की जांच की मांग पर आये फैसले का प्रतिफल कहा जा रहा है। इसके लिये मेरा पाठकों से आग्रह है कि वह गोधरा काण्ड के बाद गुजरात में भड़की हिंसा पर एक किताब आयी है। ''गुजरात फाईल्स'' इसका अध्ययन अवश्य करें। इस किताब को लेकर अगले लेख में विस्तार से चर्चा करूंगा।

लेकिन इस समय इस महाभियोग में लगाये गये आरोपों से हटकर मैं पाठकों का ध्यान अरूणांचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री काली खो पुल के उस पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो उन्होनें अपनी मौत से पहले लिखा था। काली खो पुल 9 अगस्त 2017 को अपने घर में सुबह मृत पाये गये थे। जैसे ही उनकी मौत की खबर आयी थी तब संबन्धित प्रशासन उनके घर पहुंचा और सारी औपचारिकताओं के बाद उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। उस समय यह 60 पन्नों का पत्र सामने आया था। इस पत्र के हर पन्ने पर स्व. पुल के हस्ताक्षर हैं। इस पत्र को आत्महत्या से पूर्व सामने आने से पुल की मौत को आत्महत्या माना गया और पत्र को आत्महत्या से पूर्व का हस्ताक्षरित ब्यान। कानूनी प्रावधानों की अनुपालना करते हुए इस पत्र के आधार पर उनकी जांच किये जाने का प्रशासन ने फैसला लिया था और राज्यपाल राज खोबा ने भी इस जांच का अनुमोदन किया था। लेकिन जब किन्ही कारणों से यह जांच नही की गयी तथा राज्यपाल को भी हटा दिया गया तब पुल की पत्नी दंगविमसाय पुल ने फरवरी 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश को पत्र लिखकर इस पत्र में नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। यह अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के 1991 में के वीरा स्वामी के मामले में आये फैसले के आधार पर मांगी गयी थी। इस फैसलें में जजों को भी 1986 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जनसेवक करार देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ एफआईआर करने के लिये प्रधान न्यायधीश से अनुमति लेनी होगी। इसी अनुमति के लिये यह पत्र लिखा गया था। लेकिन अनुमति देने की बजाये इस पत्र को याचिका में बदल दिया गया और जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यू यू ललित की खंडपीठ को सुनवायी के लिये दिया गया। जस्टिस गोयल ने अपने को मामले से यह कहकर हटा लिया कि उन्होने जस्टिस केहर के साथ काम किया है। श्रीमति पुल को अन्ततः यह पत्र वापिस लेना पड़ा जिसको लेकर बहुत कुछ कहा गया है।

कालीखो पुल कांग्रेस नेता थे और राज्य में अपने पहले चुनाव जीतने के बाद ही मन्त्री बन गये थे। जब वह मुख्यमंत्री बने उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रणव मुखर्जी वित्त मन्त्री थे तब उन्होनें राज्य के लिये 200 करोड़ की ग्रांट लेने के लिये कैसे कांग्रेस नेताओं नारायण स्वामी, कमलनाथ, सलमान खुर्शीद, गुलाम नवी आजाद, मोती लाल बोहरा और कपिल सिब्बल के साथ उनकी मुलाकातें रही और किसने उनसे क्या मांगा इसका पुरा खुलासा उनके पत्र में है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों को लेकर है। किसने कैसे कितने पैसे उनसे मांगे किसको क्या दिया इसका पूरा खुलासा है। इसमें मुख्य न्यायधीश रहे जस्टिस केहर और अब मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा तक का नाम है। सर्वोच्च न्यायालय के चार जजों का नाम इस पत्र में है। 86 करोड़ से लेकर 49 करोड़ और 37 करोड़ की मांग की गयी। कपिल सिब्बल को लेकर भयानक खुलासा है। यह पत्र एक पूर्व मुख्यमन्त्री का अपनी आत्महत्या से कुछ पहले लिखा गया पत्र है। यह पत्र सार्वजनिक हो चुका है। इसलिये आज जब महाभियोग की बात की जा रही है तब क्या यह पत्र उसमें प्रसांगिक नही है? इस पत्र पर जांच क्यों नही होनी चाहिये। इस पत्र को लेकर सभी राजनीतिक दल खामोश क्यों है? इसी तरह की खामोशी गुजरात फाईल्स को लेकर है। क्या यह खामोशी पूरी व्यवस्था पर अविश्वास नही खड़ा करती है।

नक्सलवाद को हराती सरकारी नीतियाँ

24 अप्रैल 2017 को जब 'नक्सली हमले में देश के 25 जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे' यह वाक्य देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, तो देशवासियों के जहन में सेना द्वारा 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक की यादें ताजा हो गई थीं। लेकिन नक्सलियों का कोई एक ठिकाना नहीं होना, सुरक्षा कारणों से उनका लगातार अपनी जगह बदलते रहना और सुरक्षा बलों के मुकाबले उन्हें स्थानीय नागरिकों का अधिक सहयोग मिलना, जैसी परिस्थितियों के बावजूद ठीक एक साल बाद 22 अप्रैल 2018,को जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में पुलिस के सी–60 कमांडो की कारवाई में 37 नक्सली मारे जाते हैं तो यह समझना आवश्यक है कि यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह वाकई में एक बड़ी कामयाबी है। इन नक्सलियों में से एक श्रीकांत पर 20 लाख और एक नक्सली साईनाथ पर 12 लाख रुपए का ईनाम था।

डा. नीलम महेंद्र

आज सरकार और सुरक्षा बलों का नक्सलवाद के प्रति कितना गंभीर रुख है इससे समझा जा सकता है कि 29 मार्च 2018 को सुकमा में 16 महिला नक्सली समेत 59 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसी क्रम में पिछले दो सालों में सरकार द्वारा 1476 नक्सल विरोधी आपरेशन चलाए गए जिसमें 2017 में सबसे ज्यादा 300 नक्सली मारे गए और 1994 गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस सब के बीच नक्सलियों का आत्मसमर्पण वो उम्मीद की किरण लेकर आया है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अब इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों का नक्सलवाद से मोहभंग हो रहा है।

वर्तमान सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया है कि उसकी नीतियों के कारण 11 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गई है और अत्यधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 36 से कम होकर 30 रह गई है। सरकार के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से भी नक्सली हिंसा के क्षेत्र में कमी आई है, जहाँ 2013 में यह 76 जिलों में फैला था वहीं 2017 में यह केवल 58 जिलों तक सिमट कर रह गया है।

देश में नक्सलवाद की समस्या और इसकी जड़ें कितनी गहरी थी यह समझने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का वो ब्यान महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए 'सबसे बड़ी चुनौती' की संज्ञा दी थी। उनका यह ब्यान व्यर्थ भी नहीं था। अगर पिछले दस सालों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो 2007 में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस कैंप को निशाना बनाया था जिसमें 55 जवान शहीद हो गए थे। 2008 में ओड़िशा के नयागढ़ में नक्सली हमले में 14 पुलिस वाले और एक नागरिक की मौत हो गई थी।2010 में इन्होंने त्रिवेणी एक्सप्रेस और कोलकाता मुम्बई मेल को निशाना बनाया था जिसमें कम से कम 150 यात्री मारे गये थे। 2010 में ही पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के सिल्दा कैंप पर हमले में पैरामिलिटरी फोर्स के 24 जवान शहीद हो गए थे। इसी साल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में अब तक के सबसे बर्बर नक्सली हमले में 2 पुलिस वाले और सीआरपीएफ के 74 जवान शहीद हो गए थे। 2011 में छत्तीसगढ़ के गरियबंद जिले में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में एक एसएसपी समेत नौ पुलिस कर्मी मारे गए थे। 2012 में झारखंड के गरवा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में एक अफसर सहित 13 पुलिस वालों की मौत हुई थी। 2013 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की दरभा घाटी में नक्सली हमले में काँग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और छत्तीसगढ़ के काँग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल सहित 27 लोगों की मौत हुई थी। सिलसिला काफी लंबा है।

लेकिन अप्रैल 2017 में जब सुकमा में नक्सलियों ने घात लगाकर खाना खाते हमारे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया तो सरकार ने नक्सलियों को मुँहतोड़ जवाब देने का फैसला लिया और आरपार की लड़ाई की रणनीति बनाई जिसमें इस की जड़ पर प्रहार किया।

इसके तहत न सिर्फ शीर्ष स्तर पर कमांडो फोर्स और उनके मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों के जंगलों को खत्म करके वहाँ सड़क निर्माण स्कूल एवं अस्पताल, मोबाइल टावर्स, अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों का निर्माण, सभी सुरक्षा बलों का आपसी तालमेल सुनिश्चित किया गया और यह सब हुआ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय से। इसके अलावा मनरेगा द्वारा इन नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों के नागरिकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चलाया गया बल्कि विकास कार्यो से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ कर उन्हें नक्सलियों से दूर करने का कठिन लक्ष्य भी हासिल किया।

जी हाँ, लक्ष्य वाकई कठिन था क्योंकि जब 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिला दार्जिलिंग नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी तब चारू मजूमदार और कनु सान्याल जैसे मार्क्सवादियों ने भूस्वामियों की जमीन उन्हें जोतने वाले खेतिहर मजदूरों को सौंपने की मांग लोकर भूस्वामियों के विरुद्ध आंदोलन शुरु किए जिसे तत्कालीन सरकार ने 1500 पुलिस कर्मियों को नक्सलवाड़ी में तैनात कर कुचलने का प्रयास किया। यही से वंचितों आदिवासियों खेतिहर मजदूरों के हक में सरकार के खिलाफ हथियार उठाने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह आंदोलन देश के अन्य भागों जैसे ओड़िशा झारखंड म.प्र छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र समेत देश के लगभग 40% हिस्से में फैलता गया। तत्कालीन सरकारों सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों के रवैये से एक तरफ इन इलाकों के लोगों का आक्रोश सरकारी मशीनरी के खिलाफ बढ़ता जा रहा था तो दूसरी तरफ उनका यह क्रोध नक्सलियों के लिए सहानुभूति भी पैदा करता जा रहा था। स्थानीय लोगों के समर्थन से यह समस्या लगातार गहराती ही जा रही थी। लेकिन यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि अपनी नीतियों और विकास कार्यो के प्रति वह आज इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों का न सिर्फ विश्वास एवं समर्थन हासिल कर पाई बल्कि उन्हें नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़ा होकर देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ने के लिए भी तैयार कर पाई।

उम्मीद की जा सकती है कि अब वो दिन दूर नहीं जब जैसा कि देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 2022 तक कश्मीर, आतंकवाद, नक्सलवाद और नार्थ ईस्ट में जारी विद्रोह भारत से पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा।

नगर निगम शिमला में भी हजारों अवैध निर्माण

प्रशासन की चुप्पी सवालों में

शिमला/शैल। कसौली कांड का कड़ा संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से शिमला, धर्मशाला, मकलोड़गंज, कुल्लु और मनाली में भी हुए अवैध निर्माणों पर सरकार से रिपोर्ट तलब की है। प्रदेश में सबसे अधिक अवैध निर्माण शिमला में हैं 2014 के बजट सत्र में विधानसभा में आये एक प्रश्न के उत्तर में नगर निगम शिमला ने 186 भवनों की सूची सदन में रखी थी जो पांच या इससे अधिक मंजिलों के हैं कुछ तो बारह मंजिलों तक के हैं। जबकि भवन निर्माण नियम इसकी अनुमति नही देते हैं। लेकिन इनमें कुछ सरकारी भवन भी ऐसे हैं जो आठ से दस मंजिल तक के हैं इसमें यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या सरकार के भवनों से पर्यावरण और सुरक्षा को खतरा नही होता? यह खतरा सिर्फ प्राईवेट भवनों से ही है।

2014 में नगर निगम ने स्वयं इन 186 भवनों की सूची जारी की है जबकि अब जब एनजीटी के पास शिमला को

WARD-WISE DETAIL OF BUILDINGS MORE THAN FIVE STOREYS

SN	Name and address of owner	No. of storeys
	Ward No.1 (Bharari)	
1	Sh.S.K.Sahajpal, Upper Chapslee Estate, Shimla.	6 Storeyed building
2	Sh.Khushi Ram, Lower Chapslee Estate, Shimla.	6 Storeyed building
3	Sh.Ashok Kumar Garg, Lower Chapslee Estate, Shimla.	6 Storeyed building
4	Sh.Manmohan Shandil, Lower Chapslee Estate, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.2 (Ruldu Bhatta)	
1.	Sh.Ram Gopal Sood, Bell Villa, near Scandal Point below ICICI Bank, Shimla. (Core Area)	6 Storeyed building
2.	L.I.C Building near Scandal Point, The Mall Shimla (Core Area)	6 Storeyed building
3.	H.P.State Co.Op.Bank. near Scandal Point (Core Area).	7 Storeyed building
4.	I.G.M.C. Boys Hostel, Blessington, near Lakkar Bazar Bus Stand, (Core Area)	6 Storeyed building
5.	Sh.Ashok Goel, Hotel Palace Fingask,	7 storeyed building.
6.	Baljees Regency building, Fingask, (Core area)	6 Storeyed building
7.	Sh.K.C.Chauhan, Hotel Maharaja, Fingask, Shimla(Core Area).	6 Storeyed building
8.	Smt.Parkash Flora, Hotel White Lakkar Bazar, Shimla (Core Area).	6 Storeyed building
9.	Sh.Layak Ram Panta, near Man House, Shankli.	6 Storeyed building
10.	Sh.Dila Ram, Kuftadhar(Open Area),	6 Storeyed building
	Ward No.3 (Kaithu)	
1.	Sh.R.C.Sharma, Mayth Estate, Upper Kaithu, Shimla.	6 Storeyed building
2..	Sh.Preet Pal Singh and Sh.Mandeep Singh, Hotel Sukh Sagar, Shimla.	6 Storeyed building
3.	Sh.Devender Singh Shayam, Hotel Maridian,	6 Storeyed building
4.	Sh.D.K.Seth and other, Hotel Lords Gray, Shimla.	8 Storeyed building
5.	Sh.Pushpender Bamba, Hotel Surya	10 storeyed building.
6.	Smt.Renu, Hotel Balgees regency	8 Storeyed building
7.	Sh.O.P.Laul , Hari Om Bhawan, Shimla.	6 Storeyed building
8.	Smt.Shalu Chopra, Hotel Capital, Shimla.	9 Storeyed building
	Ward No.4 (Annadale)	
1	M/S Land Mark Hotel near Victory Tunnel Shimla	7 storeyed building
2	Vidyut Bhawan, H.P.S.E.B, Building No.1, Kumar House, Shimla-1	6 storeyed building.
3	Vidyut Bhawan, H.P.S.E.B, Building No.1, Kumar House, Shimla-1	6 storeyed building.
	Ward No.5 (Summerhill)	
	Nil	
	Ward No.6 (Totu)	
1.	Sh.Mast Ram, Panwar Building, near Sr.Sec. School, Totu.	6 storeyed building.
2.	Dr.Ravi Patiyal, Patiyal building, Shiv Nagar, Totu, Shimla.	--do--
3.	Sh.Telu Ram, Telu Ram Building, Lower Totu, Shimla	--do--
4.	Sh.Kirpa Ram Dogra, Dogra Lodge, Lower Totu, Shimla.	--do--
5.	Sh.Om Parkash, Pawan Building, Lower Totu, Shimla.	--do--
6.	Smt.Savitri Devi W/o Sh.Ram Dhan, Ram Dhan Building, Totu Chowk, Shimla.	7 storeyed building.
7.	Smt.Sita Sharma W/o Sh.Roshan Lal Sharma, Roshan Lal Building, Totu Chowk, Shimla.	8 storeyed building.
8.	Sh.Rajesh and Sh.Baldev, Amin Chand Building, Totu Chowk, Shimla.	7 storeyed building.
9.	Sh.Pradeep Singh, Nika Ram Bhawan, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
10.	Sh.K.C.Gupta, Nitin Cottage, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
11.	Sh.Rajinder Kumar Aggarwal, Raju Building, Totu, Shimla.	8 storeyed building.
12.	Smt.Vidya Devi, Vidya Bhawan, near P.N.B, Totu Chowk, Shimla.	10 storeyed building.
13.	Smt.Ambika, Ambika Bhawan, near P.N.B, Totu, Shimla.	7 storeyed building.
14.	Sh.Lal Chand, Lal Chand Building, Totu, Shimla.	7 storeyed building.
15.	Sh.Bhupinder Singh near Sh.Tikinder Singh, P.N.B Bank Totu, Shimla.	6 storeyed building.
16.	Sh.Chattar Paul, Chattar Pal Building, Opp. To P.N.B, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
17.	Sh.Narayan, Narain Bhawan, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
18.	Sh.R.P.Khajuria, Khajuria Niwas, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
19.	Sh.Chander Kumar, Chander Kumar Building, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
20.	Sh.Gangu Ram Musafir, Musafir Building, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
21.	D.A.V School Building, New Totu. Shimla.	6 storeyed building.
22.	Sh.Santosh Sharma, Santosh Building, Power House, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
23.	Sh.Dinesh Kumar, Dinesh Kumar Building, Power House, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
24.	Sh.Vijay Kumar Sood, Divya Kunj Building, New Totu, Shimla.	7 storeyed building.
25.	Sh.Devi Ram, Devi Cottage, New Totu,	6 storeyed building.
26.	Smt.Maya Puri, Maya Puri Niwas, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
27.	Smt.Tulsi, Tulsi Niwas, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
28.	Sh.Ramesh Kumar, Happy Home, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
29.	Sh.Grover, Grover Building, New Totu, Shimla.	7 storeyed building.
30.	Sh.Sukh Ram, Sukh Ram Building, New Totu, Shimla.	6 storeyed building.
31.	Sh.Ajay Kumar and Dinesh Kumar, Ajay Bhawan, Totu Chowk, Shimla.	6 storeyed building.
32.	Smt.Kamla Sharma, Kamla Niwas, Totu Chowk, Shimla.	6 storeyed building.
33.	Smt.Parveet, Parveet Bhawan, Totu Chowk, Shimla.	6 storeyed building.
34.	Smt.Shankru, Shankru Building, Totu, Shimla.	7 storeyed building.
35.	Sh.Diwan Chand, Diwan Chand Building, Totu Shimla.	7 storeyed building.
36.	Sh.Naginder Gupta, Mangal Bhawan, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
37.	Sh.Roshan Lal Thakur, Thakur Building, Totu, Shimla.	6 storeyed building.
38.	Sh.Madan Lal, near D.A.V School, Totu,Shimla.	6 storeyed building.
	Ward No.7 (Boileauganj)	
1.	Himachal Govt. Building, Ghora Chowki, Shimla.	6 Storeyed building
2.	Hotel Apple Regency, Ghora Chowki, Shimla.	6 Storeyed building
3.	Sh.Darshan Singh, Darshan Cottage, Ghora Chowki, Shimla	8 Storeyed building
4.	Sh.Narayan Dass, Asha Bhawan, Ghora Chowki, Shimla.	7 Storeyed building
5.	Sh.Baldev Parashar, Laxmi Bhawan, Ghora Chowki, Shimla.	7 Storeyed building
6.	Sh.Mukesh Malhotra, Santosh Bhawan, Katchi Ghati, Shimla.	10 Storeyed building
7.	Smt.Sarla Devi, Sarla Bhawan, Katchi Ghati, Shimla	6 Storeyed building
8.	Smt.Pratiba Gupta, Sunrise Building, Katchi Ghati, Shimla	8 Storeyed building
9.	Sh.Ashok Thakur, Thakur Niwas, Katchi Ghati, Shimla.	9 Storeyed building
10.	Sh.Ram Krishan Thakur, Thakur Building K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
11.	Sh.Pawan Kumar, (Care Taker) Katchi Ghati, Shimla	7 Storeyed building
12.	Sh.Dinesh Kumar, Hira Niwas, Katchi Ghati, Shimla-6.	6 Storeyed building
13.	Sh.Ram Lal, Sant Niwas, Katchi Ghati, Shimla	6 Storeyed building
14.	Sh.Balbir Thakur, Thakur Niwas, K.Ghati.	6 Storeyed building
15.	Sh.Vinay Kumar, Hari Niwas, New Light and Sound Katchi Ghati, Shimla	7 Storeyed building
16.	Sh.Bhupinder Jeet,Advocate, Kangar House, K.Ghati, Shimla	8 Storeyed building
17.	Smt.Kanta Devi, Kanta Niwas, K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
18.	Sh.Ranbir Karar and Rajinder, K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
19.	Smt.Bimla Joshi, Joshi Building, K.Ghati, Shimla.	7 Storeyed building
20.	Sh.Devenderjit, K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
21.	Near Sheel Hotel, K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
22.	Sh.Devender Singh Thakur, near Sankat Mochan, Shimla.	6 Storeyed building
23.	Sh.Ravi Bhagra, Bhagra Steel, Tara Devi,	6 Storeyed building
24.	Smt.Amrita Krishan, Tara Devi, Shimla.	6 Storeyed building
25.	Sh.Ashok Kumar Garg, Bajaj Service Centre, K.Ghati, Shimla.	6 Storeyed building
26.	Sh.Pardeep and Udyaveer, K.Ghati,	6 Storeyed building
27.	Sh.Amar Nath Sharma, Lower Chakkar, Shimla.	8 Storeyed building
28.	Sh.Ashok Sood, Lower Chakkar, Shimla.	6 Storeyed building
29.	Sh.Pushpinder, Sandal Chakkar, Shimla	6 Storeyed building
30.	Puja Co.Op.Society Block-D, Sandal Chakkar, Shimla.	6 Storeyed building
31.	--do—Block-E,	6 Storeyed building
32.	--do- Block-A	6 Storeyed building
33.	--do—Block-C	6 Storeyed building
34.	St.Merry School, Puja Co.Operative. Sandal Chakkar, Shimla.	6 Storeyed building
35.	Sh.Dalip Sharma, Advocate, Prashant Nelay,	6 Storeyed building
	Ward No.8 (Tuti Kandi)	
1	Sh.Sita Ram Khajuria, Hari Nagar, near Middle School Panjri, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.9(Nabha)	
1.	Directorate of Transport, Shimla	6 Storeyed building
2.	Hotel Cicil, Chaura Maidan	8 Storeyed building
	Ward No.10 (Phagli)	
1	Nil	
	Ward No.11(Krishana Nagar)	
1	Sh.S.K.Sood, Adjoining Gurudwara, Bus Stand, Shimla.	6 Storeyed building
2	Gurdwara Building Local Bus Stand.	6 Storeyed building
	Ward No.12 (Ram Bazar)	
1.	High Court Building,	10 storey
2.	M.C.Building/parking opp. Holiday Home.	6 storey
3.	Ram Mandir, Shimla Ram Bazar, Shimla	7 storey
4.	Hotel Amber, Ram Bazar, Shimla.	6 storey
5.	Indira Gandhi Sports Complex	6 storey
6.	Bakf Board Building Pursharthi Basti, Lower Bazar.	6 storey
7.	S.D.Girl School , Ram Bazar, Shimla.	6 storey
8.	Parkash Radio Building, Subji Mandi Shimla.	6 storey
9.	H.P.S.I.D.C, Bemloe, Shimla.	6 storey
	Ward No.13 (Lower Bazar)	
1..	Victory Hotel Building, Cart Road, Shimla.	6 storey
2.	Bindu Raj Dharamshala, Cart Road, Shimla.	6 storey
3.	Dayanand School, below State Bank Shimla.	6 storey
4.	Part of Hotel Gulmarg near Army Area, Shimla.	6 storey
5.	G.D.Khanna Building, The Mall, Shimla.	6 storey
6.	Devicos Building, The Mall, Shimla.	6 storey
7.	Indian Coffee House Bldg. The Mall Shimla.	6 storey
8.	Janki Dass Building, The Mall, Shimla.	6 storey
9.	Central Traders, 2, The Mall, Shimla	6 storey
10.	Syndicate Bank, 6, The Mall, Shimla.	6 storey
11.	Whiteway Building, The Mall, Shimla.	6 storey
12.	Samrat Hotel, The Mall Shimla.	6 storey
13.	Lok Nath & co., 16, The Mall, Shimla.	6 storey
14.	Reebok Showroom, 15, The Mall, Shimla.	6 storey
15.	Jain Building,	6 storey
16.	74, The Mall, Shimla.	6 storey
17.	Bridge View Hotel	6 storey
	Ward No.14 (Jakhoo)	
1	Jakhoo Ropeway, Jagson International Ltd.	12 storeyed building.
2	Cedar Wood, Sh.Partap Chauhan, Shimla.	7 storeyed building.
	Ward No.15 (Benmore)	
	Nil.	
	Ward No.16 (Engine Ghar)	
1	Surender Deshta & Sunil Deshta, Bangala Colony, Engine Ghar, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
2	Sh.I.D.Chandel, Parkash Chandel and Hem Chand Smt.Sunita Thakur, Bangala Colony, Engine Ghar, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.17(Sanjauli)	
1.	Sh.Rakesh Ahuja, Broadview Hotel, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
2.	Sanatan Dharam Sabha Building, Sanjauli.	6 Storeyed building
3.	Sh.Shankar Lal, Shankar Bhawan, Vill. Chalaunti, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
4.	Different owners, Laxmi Bhawan, North Oak, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.18 (Dhalli)	
1.	Kamla Niwas, Churat road, near Pranchal Guest House.	8 Storeyed building
2.	Dhani Niwas, Churat road, near Pranchal Guest House,	7 Storeyed building
3.	Moti Niwas, Churat road, (Hospital) near Bye Pass road.	7 Storeyed building
4.	Kaushalya Devi, (Ladies Tailor) near Bye Pass Dhaba.	6 Storeyed building
5.	Sunita Viz (Hotel Shimla Inn) near Bye Pass Dhaba.	6 Storeyed building
6.	Sh.Ranbir Singh S/o Sh.Agya Ram (Nav Rattan Hotel) near Tunnel.	6 Storeyed building
7.	Krishan Dev Building(Vaishno Dhaba) near Dhalli Chowk.	6 Storeyed building
8.	Jang Bahadur,(A one Dhaba) near Dhalli Chowk.	6 Storeyed building
9.	Amar Building, near Motor Work Shop, Dhalli	6 Storeyed building
	Ward No.19 (Chamyana)	
1.	Sh.Arun Chauhan, Dhingu Dhar, Cemetry Block-I,	6 Storeyed building
2.	--do—Block II	6 Storeyed building
3.	Sh.D.D.Sharma, Upper Cemetry R/o Tara Mata Mandir, Cemetry.	6 Storeyed building
4.	Sh.O.P.Sharma, Achal Niwas, Bhattakufar path, Cemetry.	6 Storeyed building
5.	Sh.Ajay Beakt, near New India Sweet Shop, Cemetry Shop, Shimla.	6 Storeyed building
6.	Sh.Hans Raj Chauhan, Cemetry road, Opp. Rajinder Chauhan Shop.	6 Storeyed building
7.	Vikrant Bhawan, near P.W.D Building Cemetry, road.	6 Storeyed building
8.	Trimurti Bhawan, (Jaina Building near PWD Building Cemetry road Sanjauli, Shimla.).	6 Storeyed building
	Ward No.20 (Sangti /Malyan)	
1.	Sh.Balbir Banshtoo Sukh Sadan Niwas, Sangti, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
2.	Sh.S.L.Sharma, Shiv Niwas, Sangti, Sanjauli, Shimla.	6 Storeyed building
3.	Sh.Vijay Verma, Verma Niwas, Flowerdale, Shimla.	6 Storeyed building
4.	Smt.Suman, Sidarth Cottage, Nav Bahar	6 Storeyed building
	Ward No.21 (Kasumpti)	
1.	Sh.Yudhveer Sipahiya, near Verma Apartment, Jiwnoo Colony, Kasumpati, Shimla.	6 Storeyed building
2.	Sh.S.S.Thakur, Thakur Villa, Kasumpti Bazar, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.22 (Chotta Shimla)	
1.	Pushpa Niwas, Dev Nagar, C/o Partap Singh Mehta,	6 +1 Storeyed building
2.	Chirag Cottage, Dev Nagar, Shimla.	6 Storeyed building
3.	Verma Apartment, Block A-12	6 Storeyed building
4.	Regional Ayurvedic Hospital Chotta Shimla	8 Storeyed building
5.	Block- 3, SDA Complex	6 Storeyed building
6.	Block No.2, SDA Complex	6 Storeyed building
7.	Block No.40, SDA Complex, Office SBI	8 Storeyed building
8.	Block-B, Flat No.1 to 4 Verma Apparment Dev Nagar, Shimla.	6 Storeyed building
9.	Block-32, TCP Office	6 Storeyed building
10.	Sh.Ashok Maidan near Block No.32,	8 Storeyed building
11.	Sh.Bhupinder Singh	7 Storeyed building
	Ward No.23 (Pateyog/ New Shimla)	
1.	Smt.Khema Sharma, C/o Mahu Nag Brother, main road, BCS Shimla.	7 Storeyed building
2.	Sh.Rakesh Goel, Goel Brother, main road B.C.S Shimla.	6 Storeyed building
3.	Sh.Girish Gupta, Gupta Niwas, Sec-IV, main road, New Shimla.	7 Storeyed building
4.	Sh.Umesh Sharma, Valley View Building, Sec-IV main road, New Shimla.	6 Storeyed building
5.	Sh.Gagan Sharma, near Valley View Building Sec-IV, main road, New Shimla.	6 Storeyed building
6.	Sh.Ajay Bhandari, near BCS Chowk, New Shimla.	6 Storeyed building
7.	Sh.P.C.Bhardwaj, Bhardwaj Niwas, B.S.N.L Building Office, Kangna Dhar, New Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.24 (Khalini)	
1.	Sh.Rajinder Thakur, Villa Bhawan, near Hanuman Mandir, Khalini.	6 Storeyed building
2.	Sh.Tikku Thakur, Thakur Vatika, Khalini, near Hanuman Mandir.	6 Storeyed building
3.	Sh.Mukesh Sood, Sood Niwas, Bhagwati Nagar, Lower Khalini, Shimla.	6 Storeyed building
4.	Sh.Hira Lal, Hira Bhawan, near Marketing Board, Lower Khalini, Shimla.	6 Storeyed building
5.	Sh.D.L.Verma, Kala Bhawan, near Marketing Board, Lower Khalini, Shimla.	6 Storeyed building
6.	Sh.T.C.Verma, Verma Niketan, Anand Nagar, Lower Khalini, Shimla.	6 Storeyed building
	Ward No.25 (Kanlog)	
1.	Kamla Nehru Hospital	7 Storeyed building
2.	HPSIDC	7 Storeyed building

गुड़िया प्रकरण में सीबीआई अब तक क्यो नही कर पायी कोई और गिरफ्तारी

शिमला/शैल। गुड़िया प्रकरण में सीबीआई ने दस माह बाद बड़ी सफलता का दावा करते हुए कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्र के एक चिरानी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर सीबीआई ने यह दावा किया है कि पूरे फारैन्सिक साक्ष्यों के आधार पर इसको अंजाम दिया गया है। यह भी दावा किया गया है कि इस कांड में चार पांच लोग और फिर शामिल हैं जिन पर सीबीआई की पूरी नज़र बनी हुई है। सीबीआई के दावे कितना पुख्ता हैं और किस हद तक उसे यह मामला सुलझाने में सफलता मिल चुकी है इसका खुलासा तो आने वाले वक्त में ही सामने आयेगा। लेकिन जो कुछ घट चुका है उसके मुताबिक अब तक इसमें सीबीआई केवल एक ही गिरफ्तारी कर पायी है। यदि इस कांड में चार-पांच लोग और भी शामिल हैं तथा उन पर सीबीआई की पूरी नजर है तो फिर अब तक अगली कोई गिरफ्तारी क्यों नही हो पायी है जबकि इस एक ही गिरफ्तारी पर कांगड़ा के सांसद शान्ता कुमार से लेकर कांग्रेस के विनय शर्मा तक कई लोग गंभीर आशंकाएं व्यक्त कर चुके हैं। चिरानी नीलू की गिरफ्तारी सीबीआई ने 13 अप्रैल को कर ली थी लेकिन उसके बाद अब मई का पहला सप्ताह पूरा बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी न हो पाना इस आशंका की संभावना को पुख्ता करता है कि उच्च न्यायालय की लताड़ के बाद हुई चिरानी की गिरफ्तारी महज़ एक अन्धेरे का ही तीर है जो आशंका शैल पहले ही व्यक्त कर चुका है।

सीबीआई के पास यह मामला 23 जुलाई को चला गया था। सीबीआई पर अब तक लगभग दो करोड़ राज्य सरकार का खर्च हो चुका है। इस तरह करीब दस माह बाद एक चिरानी की गिरफ्तारी किया जाना और उस गिरफ्तारी की स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल किये जाने तक मीडिया को कोई भी तफसील जारी न किया जाना ऐजैन्सी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस अकेली गिरफ्तारी से इस कांड को गैंग रेप करार देना संभव नही होगा। जबकि अब तक इसे सामूहिक दुष्कर्म ही माना जाता रहा है। स्मरणीय है कि यह कांड चार जुलाई को घटा था। गुड़िया चार बजे स्कूल से निकली और उसके बाद उसे पकड़ा गया उसके साथ गैंग रेप हुआ फिर छः बजे तक उसकी हत्या भी कर दी गयी। जिस स्थान पर उसकी लाश मिली है वह स्कूल से करीब 20 मिनट का रास्ता माना जाता है। जिस जगह उसकी लाश मिली है वह भी आम रास्ते से इतनी दूर नही है कि जहां से उसके चीखने चिल्लाने की आवाज न पहुंचती। फिर गैंग रेप से लेकर हत्या तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छः बजे तक घट जाता है। तो क्या यह लोग पेशेवर शातिर अपराधी थे जिन्होने दो घण्टे से भी कम समय में इस सबको अंजाम दे दिया? लेकिन आम आदमी के गले यह बात आसानी से उतरती नही है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर न तो पुलिस ने कोई शक जाहिर किया है और न ही सीबीआई ने। यदि एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों ही सही हैं तो यह सारा कांड दो घण्टे से कम समय में अजाम दिया गया है। लेकिन पकड़े गये चिरानी को देखने के बाद यह नही लगता कि वह कोई पेशेवर शातिर अपराधी हो जो पकड़े जाने के लिये सीबीआई का इन्तजार कर रहा था।

इसी के साथ दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जिन चार लोगों के फोटो सोशल मीडिया में मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेसबुक पेज पर वायरल हुए और फिर हटा लिये गये। ऐसा क्यों और किसने किया इस पर से न तो पुलिस और न ही सीबीआई पर्दा हटा सकी है? इस पक्ष पर अब तक चुप्पी क्यों है जबकि इन चारों लोगों ने कोटखाई पुलिस थाना में एक संयुक्त शिकायत दर्ज करवाई थी इस शिकायत पर अब तक क्या कारवाई हुई है इस पर भी कुछ भी सामने नही आया है क्यों? गुड़िया चार जुलाई को स्कूल से घर नही पहुंची। पांच जुलाई को भी घर नही पहुंची लेकिन उसके घरवालों ने न चार को और न ही पांच को इस बारे में पुलिस को सूचित किया क्यों? पांच को देर शाम लड़की के मामा को सूचित किया जो छः को सुबह तलाश के लिये निकला और उसे लाश मिल गयी। उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। क्या गुड़िया के घर वालों पर पुलिस में शिकायत न करने के लिये कोई दवाब था? इस पक्ष पर भी कुछ सामने नही आया है। यह है एफआईआर और लड़को की शिकायत

जिनके फोटो वायरल हुए थे उनकी शिकायत

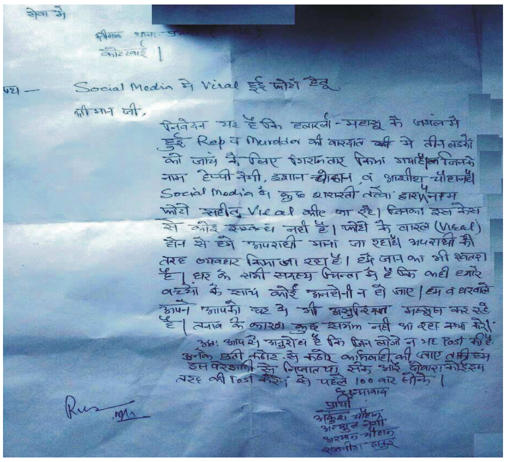
सेवा में
श्रीमान थाना प्रभारी
कोटखाई।
विषय — Social Media में Viral हुई फोटो हेतु
श्रीमान जी,
निवेदन यह है कि हलाईला-महासू के जंगल में हुई Rep व Murder की वारदात की मे तीन लड़कों को जांच के लिए गिरफतार किया गया है जिनके नाम टिप्पी नेगी, इशान चौहान, व आशीष चौहान है। Social Media में कुछ शरारती तत्वों द्वारा नाम फोटो सहीत Viral कीए जा रहे है। जिनका इस केस से कोई सम्बन्ध नही है। फोटो के वायरल (Viral) होने से हमें अपराधी माना जा रहा है। अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमें जान का भी खतरा है। घर के सभी सदस्य चिन्ता में है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। हम व घरवाले अपने आपको घर में भी असुरक्षित महसूस कर रहे है। तनाव के कारण कुछ समझ नही आ रहा क्या करें। अतः आप से अनुरोध है कि जिन लोगो ने यह Post की है उनके प्रती कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए ताकि हम इस परेशानी से निजात पा सके और दोबारा कोई इस तरह की Post करने से पहले 100 बार सोचे।
धन्यवाद
प्रार्थी
अंकुश चौहान
अन्मुल नेगी
अरमान चौहान
रजनीश ठाकुर

यह है पुलिस द्वारा दर्ज एफ आई आर

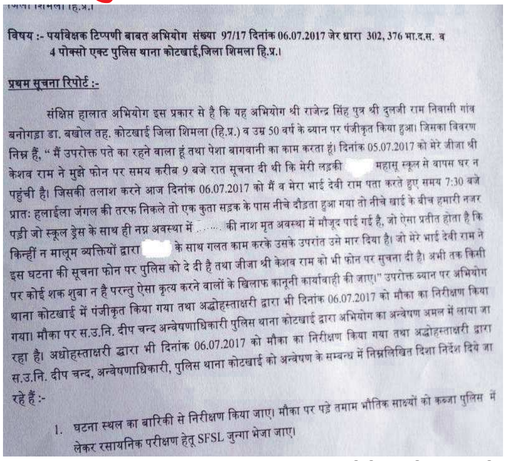
जिला शिमला हि.प्र.।

विषय :- पर्यविक्षक टिप्पणी बाबत अभियोग संख्या 97/17 दिनांक 06.07.2017 जेर धारा 302, 376 भा.द.स. व 4 पोक्सो एक्ट पुलिस थाना कोटखाई, जिला शिमला हि.प्र.।

प्रथम सूचना रिपोर्ट :-

संक्षिप्त हालात अभियोग इस प्रकार से है कि यह अभियोग श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दुलजी राम निवासी गांव बनोगड़ा डा. बखोल तह. कोटखाई जिला शिमला (हि.प्र.) व उम्र 50 वर्ष के ब्यान पर पंजीकृत किया हुआ। जिसका विवरण निम्न हैं, "मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा पेशा बागवानी का काम करता हूं। दिनांक 05.07.2017 को मेरे जीजा श्री केशव राम ने मुझे फोन पर समय करीब 9 बजे रात सूचना दी थी कि मेरी लड़की महासू स्कूल से वापस घर न पहुंची है। जिसकी तलाश करने आज दिनांक 06.07.2017 को मैं व मेरा भाई देवी राम पता करते हुए समय 7:30 बजे प्रातः हलाईला जंगल की तरफ निकले तो एक कुता सड़क के पास नीचे दौड़ता हुआ गया तो नीचे खाई के बीच हमारी नजर पड़ी जो स्कूल ड्रेस के साथ ही नग्न अवस्था में ...... की नाश मृत अवस्था में मौजूद पाई गई है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि किन्हीं न मालूम व्यक्तियों द्वारा के साथ गलत काम करके उसके उपरांत उसे मार दिया है। जो मेरे भाई देवी राम ने इस घटना की सूचना फोन पर पुलिस को दे दी है तथा जीजा श्री केशव राम को भी फोन पर सुचना दी है। अभी तक किसी पर कोई शक शुबा न है परन्तु ऐसा कृत्य करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यावाही की जाए।" उपरोक्त ब्यान पर अभियोग थाना कोटखाई में पंजीकृत किया गया तथा अद्धोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 06.07.2017 को मौका का निरीक्षण किया गया। मौका पर स.उ.नि. दीप चन्द अन्वेषणाधिकारी पुलिस थाना कोटखाई द्वारा अभियोग का अन्वेषण अमल में लाया जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक 06.07.2017 को मौका का निरीक्षण किया गया तथा अद्धोहस्ताक्षरी द्वारा स.उ.नि. दीप चन्द, अन्वेषणाधिकारी, पुलिस थाना कोटखाई को अन्वेषण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं :-

1. घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया जाए। मौका पर पड़े तमाम भौतिक साक्ष्यों को कब्जा पुलिस में लेकर रसायनिक परीक्षण हेतू SFSL जुन्गा भेजा जाए।

इस मामले में छः को लाश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मीडिया में इसको लेकर खबरें आठ और नौ को छपनी शुरू हुई जिस पर दस तारीख को ही उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया। इसी बीच इस मामले पर जनता भी उत्तेजित हो गयी। गुड़िया न्याय मंच बन गया। जनता ने कोटखाई पुलिस थाना का घेराव करके वहां तोड़फोड़ को अजांम दे दिया। उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा In the post lunch session, when the matter was taken up, we were informed by the learned Advocate General that Malkhana of Police Station at Kotkhai, District Shimla, H.P., stands ransacked; some of the files kept in the Police Station burnt; five vehicles of the police department burnt; Fire Brigade is not allowed by the mob to enter the area; and three police personnel injured, who stand referred for medical treatment to the respective hospitals. Also, though there is huge public outcry, yet police is exercising restraint in maintaining the law and order situation. It is further submitted that in view of peculiar facts and circumstances, matter warrants investigation to be conducted by the Central Bureau of Investigation (in short CBI). It is further prayed that necessary orders in that regard be passed. The Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh shall ensure that appropriate action is taken against the erring officials/officers/functionaries of the State, in accordance with law. Within a period of two weeks from today, he shall independently examine the matter and take appropriate action. (vii) The Director General of Police, Himachal Pradesh shall ensure maintenance of law and order. (viii) Affidavit of the Chief Secretary and status report by the SIT be filed not later than two weeks. लेकिन आज तक मुख्य सचिव की ओर से उच्च न्यायालय के निर्देशों पर क्या कारवाई की गयी है यह भी जनता के सामने नही आया है क्यों? सीबीआई भी इन पक्षों पर चुप है और अब इस गिरफ्तारी से पूरा परिदृश्य ही ही बदल जाता है और यह संकेत जाता है कि क्या जन आन्दोलन केवल पुलिस थाना कोटखाई के कुछ रिकार्ड को नष्ट करने के लिये ही था।

HP.PWD.TENDERS

Sealed item rate tender on form PWD-8 are hereby invited on behalf of Governor of H.P. by the Executive-Engineer, Rohru Division, HPPWD., Rohru for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in HPPWD., so as to reach in the office of the Executive-Engineer, Rohru Division, HPPWD., Rohru on or before 02-06-18 upto 10.45AM.and will be opened on the same day at 11.00 AM. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender form documents can be had from his office (Rohru Division HPPWD.,Rohru) against cash payment(Non refundable) on any working day during the office hours upto 3.00 PM. 01-06-18 on. No application for issue of tender forms will be received on 01-06-18 after 3.00PM. If the Office happens to be closed on the above mentioned dates, the tenders will be sold/ opened on the next working day at the same time and venue.

The earnest money in the shape of National in the name of the XEN, must accompany each tenders. Conditional tenders and application (for purchase of tender-forms) received without earnest money will summarily be rejected. The Offer of the tenders shall be kept open for 120 days.The XEN. Reserves the right to accept or to reject any or all the tenders without assigning any reasons.

The copy of the latest renewal/enlistment, sale-tax clearance certificate must also accompany the application for the purchase of tender-documents. Saving certificate /Time deposit account/Saving bank account in any of the post offices in HP. duly pledged.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time/Cost of form
1. A/R & M/O Machoti Kui road km 0/0 to 9/0 (S.H:- laying of patch work at various RD's Between 0/0 to 9/0)	Rs.7,75,243/-	Rs.15,600/-	01 Month
2. A/R & M/O Rohru Sungri road km 0/0 to 29/0 (S.H:- laying of patch work RD's Between 14/0 to 27/0)	Rs.8,95,837/-	Rs.18,000/-	01 Month
3. -do- (S.H:- -do- RD's Between 0/0 to 14/0)	Rs.9,04,450/-	Rs.18,100/-	01 Month
4. A/R & M/O Podhar Mandeori road km 0/0 to 6/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 6/0)	Rs.5,16,829/-	Rs.10,500/-	01 Month
5. A/R & M/O Rohru Arhal Bashala road km 0/0 to 12/0 (S.H:- laying of patch work Various RD's Between 0/0 to 12/0)	Rs.8,61,381/-	Rs.17,300/-	01 Month
6. A/R & M/O Link road to village Kanewra km 0/0 to 2/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 2/0)	Rs.1,72,276/-	Rs.3,500/-	01 Month
7. A/R & M/O Bhatwari Hingwala Gawas road km 0/0 to 7/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 7/0)	Rs.4,52,225/-	Rs.9,500/-	01 Month
8. A/R & M/O Samoli Bhatwari road km 0/0 to 7/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 7/0)	Rs.3,31,631/-	Rs.6,700/-	01 Month
9. A/R & M/O Samoli Parsa road km 0/0 to 7/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 2/0 & 4/0 to 7/0)	Rs.3,31,631/-	Rs.6,700/-	01 Month
10. A/R & M/O Parsa Chiuni Lowerkoti Chhupari road km 0/0 to 10/0 (S.H:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 6/0 & 84/0 to10/0)	Rs.4,73,758/-	Rs.9,500/-	01 Month
11. A/R & M/O RCD road km 0/0 to 2/0 and Udhoniwas Jakhar Road km 0/0 to 5/0(SH:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 2/0 & 1/0 to 5/0)	Rs.3,31,631/-	Rs.6,700/-	01 Month
12. A/R & M/O Kansakoti Kuttara Dalgaon road km RD 0/0 to 15/300 (laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 15/300)	Rs.9,88,435/-	Rs.19,800/-	01 Month
13. A/R & M/O to Badiyara Kaloti Dumadhar & Badiyara Masli Dakgaon road (SH:- laying of patch work at Various RD's Between 1/0 to 4/400 & 0/0 to 2/0)	Rs.4,13,463/-	Rs.8,300/-	01 Month
14. A/R & M/O to Chirgaon Gushali Rohal road km 0/0 to 16/0 (SH:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 2/0 & 4/0 to 5/0)	Rs.2,57,143/-	Rs.5,700/-	01 Month
15. A/R & M/O Seema Rantari road km 0/0 to 12/0 (SH:- laying of patch work at Various RD's Between 0/0 to 2/0 & 3/0 to 12/0)	Rs.5,16,829/-	Rs.10,400/-	01 Month
16. A/R & M/O RCD road km 2/0 to 21/195 (SH:- laying of patch work at Various RD's Between 14/600 to 18/0 & 20/0 to 21/195)	Rs.3,95,805/-	Rs.8,000/-	01 Month
17. A/R & M/O RCD road km 0/0 to 21/195 (SH:- M/T at RD's 9/0 to 13/0)	Rs.2,69,182/-	Rs. 5,500/-	01 Month
18. A/R & M/O RCD road km 0/0 to 21/195 (SH:- M/T at RD's 14/0 to 14/525)	Rs.7,39,936/-	Rs.15,000/-	01 Month
19. S/R to Judge residence at Rohru to Rohru Tehsil Distt Shimla(SH:- repair of celling rooms and painting and polishing over wood work of structure)	Rs.9,98,796	Rs.20,000/-	02 month
20. A/R & M/O various non Residential Building (SH:- S.E. Office building , E.E. residence & S.D.O. office building etc at Rohru)	Rs.5,39,680/-	Rs.11,000/-	02 month

Terms and conditions:-
1. The Earnest-money for the above works should be submitted with the application for the purchase of the tender-documents.
2. The Contractors should quoted the rates of all the items in the tenders both in figures and words.
3. Income tax & Sale tax No latest Sales tax clearance certificate.
4. The contrs / firm shall accompany his enlistment/renewal & EPF with his application for obtaining the tender document.
5. The contractors should apply for two works only at a time for tenders.

Adv. No.-0469/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मंत्रिमण्डल के निर्णय

26 नई एम्बुलेंस खरीदने को मंजूरी

शिमला/शैल। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हि.प्र. मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में कुल्लू जिला के मनाली स्थित लेडी विलिंगडन अस्पताल की सहायता से हेली मिशन स्विट्जरलैंड द्वारा संचालित की जाने

वाली निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ करने और विशेषकर राज्य के दूरदराज तथा जनजातीय क्षेत्रों के मरीजों को समय पर हवाई सेवा से अस्पताल पहुंचाने में मददगार साबित होगा।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिले में स्वास्थ्य उपचार परिवर्तन परियोजना यानि टाटा डिजिटल नरवज सेंटर प्लेफार्म (डीआईएनसी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। डीआईएनसी एक सेवा नेतृत्व मंच म डल है और रोगियों, अस्पतालों तथा चिकित्सकों के बीच उनके भौगोलिक स्थानों के बावजूद आपसी संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह मूल लक्षणों की जांच करने में मदद करता है, चिकित्सक परामर्श की सुविधा प्रदान करता है तथा फॉलो-अप के लिए अलर्ट भेजने और रोगियों के रिकार्ड का प्रबन्धन करता है।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम में परिवहन बहुद्देशीय सहायक (टीएमपीए) के 1235 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग (एसएडी) में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर लिपिकों के 200 पद तथा जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के 25 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 100 पद तथा जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के 20 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) के 25 पद तथा सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।

आयुर्वेद विभाग में राज्य औषधीय पौध बोर्ड के अन्तर्गत कंस्लटेंट के दो पद तथा डाटा एंट्री आपरेटर के दो पद भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल नूरपुर को विभिन्न श्रेणियों के 42 अतिरिक्त पदों के सृजन सहित 200 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आयुर्वेद विभाग में कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई की स्थापना के लिए विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले की तहसील थुनाग के छतरी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन सहित नया अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले ग्राम पंचायत वेटनरी असिसटेंटस (जीपीवीए) को अनुबंध के अन्तर्गत लाया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने रोगियों को सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अन्तर्गत पुरानी एम्बुलेंस को बदलने के एवज में 26 नई एम्बुलेंस खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की।

महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के शिमला खण्ड पर बनेगी कॉफी टेबल बुक

शिमला/ शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर, 2018 से 2 अक्तूबर, 2019 तक चलने वाले साल भर लम्बे जश्न की तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने की। बैठक में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित थे।

जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य सरकार इस अवसर को उपयुक्त ढंग से मनाने की विस्तृत योजना बना रही है।

उन्होंने कहा कि शिमला एक ऐतिहासिक स्थान है। महात्मा गांधी जी 1921 से 1946 के बीच कई बार शिमला आए तथा चक्कर की शान्ति कुटिया, समरहिल के मैनोरविला इत्यादि सहित 10 स्थानों पर रहे। इसके अतिरिक्त पीटरहॉफ में नथूराम गोड़से पर मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से जुड़े सभी स्थानों को 'आज पुरानी राहों से (एपीयूआरएसए) योजना' के अन्तर्गत कल्चरल हैरीटेज कममेोरेटिव सर्किट में परिवर्तित किया जाएगा। इन सर्किटों को विशेष सांस्कृतिक गाईड उपलब्ध करवाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा व अन्य स्मृति वस्तुओं की स्मारिकाओं को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा तथा इन्हें पोस्टर, कॉमिक बुक्स में परिवर्तित किया जाएगा और संग्रहालय की विशेष गैलरी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में महात्मा गांधी के जीवन विशेषकर 'माई एक्सपैरिमेंटस विद ट्रूथ' तथा स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां तथा नाटक आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में 1921-46 के शिमला खण्ड पर कॉफी टेबल बुक भी बनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 'इन द फुटस्टैप्स ऑफ द महात्मा- शिमला चैप्टर' नामक फिल्म में गांधी की स्मृतियों को शिमला के लोगों के विचारों द्वारा ताजा किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गांधी के पसंदीदा भजनों पर आधारित नृत्य, संगीत तथा रंगमंच की जुगलबंदी तथा मौके पर चित्रकला द्वारा महात्मा गांधी के जीवन के शिमला खण्ड को स्मरण किया जाएगा।

बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे।

हरिपुरधार को किया जाएगा मुख्य पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार हरिपुरधार को राज्य के पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस स्थान को विकसित करने का मामला 'स्वदेश दर्शन कार्यक्रम' के अन्तर्गत भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिले के हरिपुरधार में तीन दिवसीय माता भंगयाणी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन की आपार सम्भावना है तथा राज्य सरकार पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों तथा आम जनमानस को सुविधा प्रदान करने के लिए माता भंगयाणी मंदिर परिसर में सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए सरकार का विशेष ध्यान इन क्षेत्रों का विकास करने पर है। उन्होंने कहा कि मेले एवं त्यौहार हमारी संस्कृति तथा परम्पराओं का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी तथा प्रदेश के प्रत्येक भाग का समान रूप से विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम समय के दौरान प्रति कॉलेज एक लाख रुपये के प्रावधान के साथ 16 डिग्री कॉलेज खोले। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने उपयुक्त बजट प्रावधान के बिना प्रदेश में स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक संस्थान भी खोले।

उन्होंने कहा कि हरिपुरधार तथा समीप के गांव के लिए 1.76 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना का

कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त डिग्री कॉलेज हरिपुरधार के लिए लगभग 63 लाख रुपये की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि नौहराधार से चाड़ना के लिए सोलन-मीनस सड़क के सुधार एवं स्तरोन्नयन पर 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिले के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 43 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड के अन्तर्गत बंदला-गुसेण सड़क पर सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संगड़ाह में मिनी सचिवालय भवन के निर्माण पर सात करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने हरिपुधार में पुलिस चौकी खोलने, बोगधार में लोक निर्माण विभाग का उप-मण्डल, बेयांग में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, चण्डीगढ़-अंधेरी बस सेवा को हरिपुरधार तक विस्तृत करने, डिग्री कॉलेज हरिपुरधार में विज्ञान तथा वाणिज्य की कक्षाएं आरम्भ करने, सिओ माध्यमिक पाठशाला को उच्च पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला मथाल तथा पावंटा को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, क्षेत्र की पांच पाठशालाओं में प्रत्येक पाठशाला में दो कमरों के निर्माण, हरिपुरधार में पटवार वृत, आईटीआई माईना के भवन के लिए 1.50 करोड़ रुपये, कुरा खड्ड पर पुल के निर्माण, नौहराधार तथा हरिपुरधार में सब्जी मण्डी खोलने, हरिपुरधार में स्टेडियम के लिए 10 लाख रुपये, हरिपुरधार में हैलीपैड के विस्तार के लिए 10 लाख रुपये तथा मेला कमेटी के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की।

कालका-शिमला रेलवे लाइन पर रेलों की गति व आवाजाही को बढ़ाया जाएगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से भेंट कर हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार पर विचार-विमर्श किया।

पीयूष गोयल ने प्रदेश को हर सम्भव सहायता प्रदान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि कालका-शिमला रेल मार्ग पर चलने वाली रेलों की गति व आवाजाही को बढ़ाया जाएगा तथा इस यात्रा की वर्तमान अवधि को पांच घण्टे से घटाकर केवल तीन घण्टे करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को इस मामले पर तुरन्त कार्य करने के निर्देश दिए तथा कहा कि वह मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ अपने सम्बन्धों के 30 वर्ष पूरा होने पर उन्हें यह उपहार देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह जोगेन्द्रनगर-पठानकोट रेल की गति को भी बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि इस निर्णय से कालका-शिमला उच्चमार्ग पर यातायात सुविधाजनक बनेगा तथा और अधिक पर्यटक प्रकृति का आन्नद उठाने के लिए रेलमार्ग से यात्रा करना पसंन्द करेंगे। उन्होंने भानुपल्ली -बिलासपुर तथा ऊना -हमीरपुर रेल मार्गों पर तीव्र गति से कार्य करने, कालका-शिमला मार्ग पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों में सुविधाओं में सुधार लाने तथा शिमला रेलवे स्टेशन के समीप सभी प्रकार की सुविधाओं से मुक्त बहुमंजिला पार्किंग निर्मित करने का भी आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश को हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी तथा जोगेन्द्रनगर -पठानकोट की रेलवे लाइन को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि रेलवे भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग व व्यावसायिक परिसर के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा। इन सुविधाओं से शिमला में यातायात को व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

मकलोड़गंज पर अभी तक जिला जज ही नही दे पाये हैं जांच रिपोर्ट

शिमला/शैल। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मैकलोड़गंज में हुए अवैध निर्माण पर रिपोर्ट तलब की है। मैकलोड़गंज के बी ओ टी के माध्यम से बने बस अड्डा प्रकरण की जांच सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर कांगड़ा के जिला जज् को सौंपी थी। इस पर चार माह में रिपोर्ट जानी थी जो अब एक वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी नही गयी है। अब सरकार इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या तथ्य रखती है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना उसका अधीनस्थ जिला जज ही तय समय में न कर पाये तो फिर प्रशासनिक अधिकारियों से ऐसी अनुपालना की अपेक्षा कैसे की जा सकती है यह एक बड़ा सवाल सर्वोच्च न्यायालय के सामने रहेगा।

स्मरणीय है कि धर्मशाला के मकलोड़गंज में बीओटी के आधार पर बन रहे बस अड्डा और चार मंजिला होटल तथा शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण को एक अनुज भारद्वाज ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी में चुनौती दी थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है और इसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अनुमति नही ली गयी है। इस मामलें पर सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निमार्ण पर कानूनी प्रावधानों की घोर उल्लंघना के गंभीर आरोप लगे है। इस उल्लंघना में पूरे संवद्ध प्रशासन की भी मिली भगत पायी गयी है। इस उल्लंघना के लिये प्रदेश सरकार को एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया था और निर्माण कर रही कंपनी मै. प्रशांती सूर्य को ब्लैक लिस्ट किया गया था।

सीईसी की इस रिपोर्ट को प्रशांती सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में फैसला आया। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने मै. प्रशांती सूर्य को 15 लाख का जुर्माना लगाया और बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॉरिटी पर दस लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का जुर्माना लगाया। जुर्माने के साथ इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को गिराने के भी आदेश पारित किये हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की अनुशंसा की है।

बस अड्डा प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की फिर से अपील की। इस अपील की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले फैसले को संशोधित करते हुए इसकी जांच मुख्य सचिव से लेकर जिला जज धर्मशाला को सौंप दी और चार माह में इसकी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपने के निर्देश दिये। यह निर्देश 2017 में दिये गये थे और करीब एक वर्ष हो गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अभी तक नही जा सकी है। इस संबंध में जब जिला जज के कार्यालय से संर्पक किया तो उन्होने कहा कि उन्हे इसकी जानकारी ही नही है। जिला जज से इस बारे में बात नही हो सकी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के वाबजूद जिला जज द्वारा चार माह में रिपोर्ट न सौंपा जाना प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के इन आदेशों के बाद जिला जज द्वारा सरकार से इस मामले में सहायता के लिये एक वकील मांगा गया था जो सरकार ने उपलब्ध करवा दिया था। यह वकील भी एक वर्ष पहले दे दिया गया था लेकिन इसके वाबजूद इसमें अभी तक और कोई कारवाई नही हो पायी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना तय समय के भीतर जिला जज द्वारा भी न हो पाये तो स्वभाविक रूप से यह चर्चा का विषय तो बनेगा ही। We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers responsible for the construction of the bus stand /hotel / accompanying complex and to submit a report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his/ her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report before this Court within a period of four months from the date a copy of this order is received by him.

अवैध निर्माणों पर अदालत द्वारा चिन्हित जिम्मेदार कर्मीयों के खिलाफ अब तक कारवाई क्यों नही

शिमला/शैल। कसौली हत्या कांड का कड़ा संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल राज्य सरकार को लताड़ ही लगायी है बल्कि पूरे प्रदेश में हुए अवैध निर्माणों और उनके खिलाफ की गयी कारवाई की भी रिपोर्ट तलब की है। शीर्ष अदालत ने कुल्लु , मनाली , कसोल, धर्मशाला और मकलोड़गंज में हुए निर्माणों का विशेष रूप से जिक्र किया है। स्मरणीय है कि जब 2016 में सरकार ने टीपीसी एक्ट में संशोधन करके इसमें धारा 30बी को जोड़ा था तब इसे 2017 में तीन अलग-अलग याचिकाओं CWP 612 of 2017, CWP 704 of 2017 तथा CWP 819 of 2017 के माध्यम से प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इन याचिकांओं के माध्यम से उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार अवैध निर्माणों के 35000 दोषीयों को राहत पहुंचाना चाहती है। उस समय सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए यह कहा था कि ऐसे लोगों को नोटिस देकर यह कहा गया है कि वह इन अवैध निर्माणों को स्वयं गिरा दें। लेकिन इसी के साथ यह भी कहा था कि ऐसा करने से कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जायेगी लेकिन अदालत ने सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए इस संशोधन को रद्द कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति त्रिलोक चौहान की खंडपीठ ने यह कहा कि In view of our aforesaid discussion, we hold that:

(i) Insertion of Section 30-B by the Amending Act is contrary to the object and purpose of the Principal Act, as also ultra vires the Constitution of India, as such we strike it down.

(ii) Judgment rendered in Consumer Action Group (supra) is clearly distinguishable, having no binding effect on the grounds of assailing the validity of the Amending Act.

(iii)&(iv) In view of specific finding in Shayra Bano (supra), holding the observations made in Binoy Viswam (supra) that arbitrariness cannot be a ground for invalidating a legislation, only to be in per incurium, as such, we hold the amendment to be violative of Article 14 of the Constitution, being manifestly arbitrary, irrational,illogical, capricious and unreasonable.

(v) Much, as we had desired, the amendment being totally ultra vires, cannot be saved by adopting the doctrine of severability.

अदालत के इस फैसले के बाद अब जयराम सरकार ने भी उसी तरह संशोधन सदन से पारित करवा लिया है। जबकि अदालत ने इन अवैध निर्माणों के लिये दोषी अधिकारियों /कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने की अनुशंसा की है जब अदालत में यह मामला चल रहा था तब प्रशासन ने ऐसे अवैध निर्माणों की शिनाख्त करके अदालत को सूचित भी कर दिया था। इस सूचना के बाद ही अदालत ने इन अवैध निर्माणों के बिजली, पानी काटने के आदेश दिये थे। इन अवैध निर्माणों की सूची में कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इन्ही लोगों के दबाव में जयराम सरकार को यह संशोधन लाना पड़ा है। लेकिन उच्च न्यायालय के साथ ही एनजीटी और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन अवैधताओं के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने के आदेश किये हैं। शीर्ष अदालत ने तो ऐसे करीब एक दर्जन लोगों को सीधे नाम से चिन्हित करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को इनके खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये हुए हैं।

लेकिन इन लोगों के खिलाफ न तो पूर्व मुख्य सचिव वीसी फारखा ने कोई कारवाई की और न ही अब विनित चौधरी कोई कारवाई करे पा रहे हैं। इन चिन्हित लोगों में टीसीपी, पर्यटन और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के लोग हैं। सूत्रों की माने तो अब जब कसौली में इन निर्माणों को गिराये जाने के लिये जिलाधीश सोलन के आदेशों पर चार टीमें गठित की जा रही थी उस समय भी इन्ही चिन्हित लोगों में से कुछ अवैध निर्माणों के मालिको को यह आश्वासन दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जायेगा। यह दावा किया जा रहा था कि सरकार कोई न कोई रास्ता निकाल लेगी। कसौली कांड के बाद जिस तरह के ब्यान आये हैं उनसे भी यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं किसी बड़े का आश्वासन अवश्य था और इसी बड़े के कारण मुख्य सचिव कोई कारवाई भी नही कर पा रहे हैं।

शान्ता से जयराम तक

...............पृष्ठ 1 का शेष

It promotes dishonesty and encourages violation of law. Significantly, no action stands taken against the erring officials, who, in connivance, allowed such construction to be raised, throughout the State. It is not that thousands of unauthorized structures came up overnight. The officials failed to discharge their duties.

The functionaries adopted an ostrich like attitude andapproach, violating human and legal rights of an honest resident of the State. Haphazard construction is in fact a threat to life and property.

Any indulgence on the part of the State/ Legislators, in protecting such dishonesty, would lead to anarchy and destroy the democratically established institutions, also resulting into indiscrimination.

अदालत की इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए क्या राज्यपाल इस संशोधन पर अपनी मोहर लगा देते हैं या नही इस पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं।